

Dated:- 17-06-2026

1

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन : उपेन्द्र कुमार

जमानत आवेदन संख्या-534 / 2026

प्रिंस कुमार यादव उर्फ प्रिंस यादव बनाम राज्य सरकार

1. प्रिंस कुमार यादव उर्फ प्रिंस यादव पे0 मनटुन यादव.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री धीरज कुमार, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आ दे श

17.06.2026 1. काराधीन आवेदक प्रिंस कुमार यादव उर्फ प्रिंस यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत। आवेदक को बहादुरपुर थाना काण्ड सं0 119/2026 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 [विद्वान ए0सी0जे0एम0, नवम, दरभंगा दरभंगा के न्यायालय में लम्बित] में अभियोजित किया गया है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचक महेश यादव के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक 20.04.2026 को लालटुन यादव ने सूचक के साथ मारपीट किया। दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 5.30 बजे शाम को विश्वकर्मा चौक के पास लालटुन यादव, मनटुन यादव, राहुल यादव, बिल्टू यादव, प्रिंस यादव, अंकित यादव, अनुज यादव, पूनज देवी एवं ललिया देवी बैठे थे। विश्वकर्मा चौक के पास सूचक को मनटुन यादव अपने कमर से पिस्टल निकाल कर उसके उपर तान दिया और लालटुन यादव ने लोहे के रॉड से सिर के पीछे हमला कर दिया। उसका सिर फट गया। वह जमीन पर गिर गया। राहुल यादव ने लोहे के रॉड से उसके कमर, पीठ पर मारने लगा। बिल्टू यादव कह रहा था कि उसे जान से मार दो। उसके परिजन उसे डी0एम0सी0एच0 दरभंगा लेकर आ गया। अभियुक्तगण ने उसके घर से सोने एवं चाँदी के गहने और 50000 रुपये लूट कर भाग गये।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका उपरोक्त थाना कांड संख्या में दिनांक 22.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई जमानत आवेदन ना तो किसी उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक का दो आपराधिक इतिहास बहादुरपुर थाना कांड संख्या 303/21 एवं बहादुरपुर थाना कांड संख्या 19/2026 दर्ज है। जिसमें आवेदक जमानत पर है। यह वाद बहादुरपुर थाना कांड संख्या 118/2026 का प्रतिवाद है। आवेदक के विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत, बेबुनियाद एवं तथ्य से परे है। आवेदक इस केस की नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि पर बंध-पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया तथा जमानत आवेदन

Dated:- 17-06-2026

2

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन : उपेन्द्र कुमार

जमानत आवेदन संख्या-534 / 2026

प्रिंस कुमार यादव उर्फ प्रिंस यादव बनाम राज्य सरकार

को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. अभिलेख एवं संपूर्ण कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरुद्ध बी0एन0एस0 की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 07 एवं 08 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी में सूचक महेश यादव का जख्म प्रतिवेदन वर्णित है, जिसमें सूचक के जख्म की प्रकृति साधारण बतायी गई है। आवेदक के विरुद्ध घटना कारित करने का विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। यह वाद बहादुरपुर थाना कांड संख्या 118/26 का प्रतिवाद है। आवेदक दिनांक 22.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक/अभियुक्त की न्यायिक अवधि को और बढ़ाने का कोई विशेष कारण परिलक्षित नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक प्रिंस कुमार यादव उर्फ प्रिंस यादव को 10,000/-रूपया के दो जमानतदारों के साथ समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर न्यायालय विद्वान ए0सी0जे0एम0, नवम, दरभंगा के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे। इस आशय के साथ एक अंडरटैकिंग दाखिल करेंगे कि आवेदक विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेंगे एवं अन्वेषण में मदद करेंगे। आवेदक भविष्य में समान प्रकृति के अपराध में सम्मिलित नहीं होंगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0/-

(उपेन्द्र कुमार)

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम,

दरभंगा।